



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

CENTRAL STATE FARM: JETSAR, DISTT: SRI GANGANAGAR (RAJ.)

Telephone No: 01498 - 261227, 261202, Fax 261233 Email: director.csfjetsar@gmail.com

REGISTERED HEAD OFFICE:- BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-110012

NO: CSF / JTS / MKG / 1-2 / PEST. / 2014-

Dated : 16-09-2014.

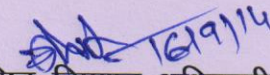
निविदा सूचना

कृषि रसायन विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर को निम्न कृषि रसायनों की आवश्यकता है जिनके दरें मोहर बन्द लिफाफे में दिनांक 07.10.2014 को दोपहर 2.00 बजे तक निदेशक, के0 रा0 फा0, जैतसर जिला श्री गंगानगर को प्रेषित करें। जो उसी दिन सांय काल 3.00 बजे समिति के द्वारा खोली जायेगी। निविदा के साथ धरोहर राशि रु0 10,000.00 का बैंक ड्रॉफ्ट जोकि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC Code No: SBIN0008251) पर देय हो, निविदा के साथ जमा / संलग्न करना होगा। निविदा संबंधी जानकारी निगम की वेबसाईट पर www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है।

क्र.स.	रसायन का नाम	यूनिट	क्रय की जाने वाली मात्रा
1.	Malathion 50% EC	लीटर	380.00
2.	Triazophos 40% EC	लीटर	350.00

निविदा की नियम व शर्तें:-

1. कीटनाशी रसायन ISI अथवा ISO ब्राण्डेड मार्का होना चाहिये।
2. निविदा में रसायन का नाम, कम्पनी का नाम, ISI, ISO मार्क का जैसा रसायन हो, लिखना अतिआवश्यक है।
3. सभी रसायन की दर प्रति लीटर सभी कर सहित देनी होगी।
4. रसायनों की आपूर्ति का आदेश फर्म को मिलने के तुरन्त बाद 3-4 दिन के अन्दर पूरा रसायन के0रा0फा0, जैतसर पर आपूर्ति करनी होगी।
5. रसायनों की जाँच हेतु नमूना के0रा0फा0, जैतसर पर फार्म समिति व फर्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिया जायेगा।
6. समिति द्वारा लिये गये नमूनों की जाँच मान्यता प्राप्त कीटनाशी प्रयोगशाला में भेजकर करायी जायेगी।
7. प्रत्येक रसायन की जाँच का खर्च सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
8. प्रयोगशाला द्वारा जाँच के उपरान्त नमूना मानक स्तर का घोषित होने के उपरान्त फार्म द्वारा 15 से 20 दिन के अन्दर जाँच खर्च काटकर भुगतान कर दिया जायेगा।
9. अपूर्ण निविदा होने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदादाता को पेन नम्बर की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
11. निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई कोई भी नियम व शर्त फार्म को मान्य नहीं होगी।
12. रसायनों की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
13. रसायन जाँच में अमानक स्तर का घोषित होने पर सम्बन्धित फर्म जाँच का खर्च फार्म में जमा करवाकर पूरा रसायन वापिस ले जायेगी।


वरिष्ठ विपणन अधिकारी
कृते निदेशक